

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक-एफ.28( )पंचायि/प्रशा-2/ग्रा.से.संघ/ज्ञापन/2011/ 2882

जयपुर दिनांक

19/7/17

:: आदेश ::

राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुये बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) की राशि 1000/-रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500/-रु० प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता रु० 1500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 2500/- प्रतिमाह दिनांक 01.07.2017 से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101703255 दिनांक 17.07.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है । बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता किसी अन्य प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा ।

(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1-विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 5-निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- 6-जिला कलक्टर- समस्त ।
- 7-मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त ।
- 8-वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 9-विकास अधिकारी, पंचायत समिति- समस्त ।
- 10-ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 11-प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान ग्रामसेवक संघ, ई-10/84 चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
- 12-आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव